न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1688/2022
अपराध क्रमांक 235/2022
आरक्षी केन्द्र–कांकेर
संस्थित दिनांक 30/09/2022

छत्तीसगढ राज्य ----अभियोजन

॥विरुद्ध॥

हरिदास राय व 01 अन्य ----अभियुक्तगण

॥निर्णय दिनांक **17.05.2024**॥

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निर्णय दिनांक	02
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	02
03	आरोप	03 एवं 04
04	स्वीकृत तथ्य	04
05	अभियोजन कहानी	04 एवं 05
06	बचाव पक्ष का विवरण	--
07	अभियोजन का तर्क	--
08	बचाव पक्ष का तर्क	--
09	कारण एवं निष्कर्ष	06 से 16
10	दण्डादेश	--
11	अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा की गयी अवधि	--
12	सम्पत्ति निराकरण संबंधी आदेश	16
13	क्षतिपूर्ति आदेश	--
14	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	17
15	सजा वारंट	--
16	निर्णय की प्रतिलिपि संबंधी आदेश 10	--

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1688/2022
अपराध क्रमांक 235/2022
आरक्षी केन्द्र–कांकेर
संस्थित दिनांक 30/09/2022

छत्तीसगढ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. ----अभियोजन
(छ.ग. राज्य द्वारा सुश्री रीना देहारी ए.डी.पी.ओ.)

॥विरुद्ध॥

1–हरिदास राय पिता स्व. जितेन्द्र राय
उम्र 27 वर्ष
2–सोनु नाग पिता स्व. तुलाराम नाग
उम्र 20 वर्ष
दोनो निवासी– धरमपुरा कालीपुर जगदलपुर
जिला बस्तर (छ.ग.)
हाल पता अटल आवास शांतिनगर कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) ----अभियुक्तगण
(अभियुक्त हरिदास राय की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता)
(अभियुक्त सोनु नाग की ओर से श्री जी.के. साहू डिफेंस लॉयर)

घटना दिनांक	27.07.2022 से 28.07.2022 के मध्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	31.07.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	30.09.2022
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	16.11.2023
विचारण प्रांरभ दिनांक	25.11.2023
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	15.05.2024
निर्णय दिनांक	17.05.2024
दण्डादेश आदेश का दिनांक यदि हो	--

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्ति	दण्डादेश	मुजरा की जाने वाली न्यायिक अभिरक्षा अवधि
1	हरिदास राय	01.08.2022	10.08.2022	धारा 457, 380 सहपठित धारा 34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	--	--
2	सोनु नाग	01.08.2022	न्यायिक अभिरक्षा मे हैं ।	धारा 457, 380 सहपठित धारा 34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	--	--

---

॥निर्णय॥

(आज दिनांक 17/05/2024 को घोषित किया गया।)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 27.07.2022 से दिनांक 28.07.2022 के मध्य समय लगभग 05.30 बजे से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व दरम्यानी रात्रि को स्थान कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने जगन्नाथ किराना दुकान सिंगारभाट अंतर्गत थाना कांकेर मे अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय कायम किया और अपने सामान्य आशय के अग्रशरण मे प्रार्थी राकेश देवांगन के किराना दुकान मे चोरी करने के आशय के दुकान के शटर का ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रि प्रछन्न गृह अतिचार या रात्रि गृहभेदन कारित किया तथा अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय कायम किया और अपने सामान्य आशय के अग्रशरण मे प्रार्थी राकेश देवांगन के किराना दुकान से 25 किलो को कटटा 10 बोरी अर्जुन चावल, 5 किलो का 3

पैकेट आटा, एक लीटर वाला एक पेटी 01 सरसो तेल, आधा लीटर का 10 बोतल सरसो तेल, 200 एम.एल. का 10 बोतल सरसो तेल, एक लीटर वाला 18 पैकेट महाकोष तेल, आधा लीटर वाला 12 पैकेट एबीस गोल्ड तेल, 10/–रूपये वाला 06 नग सरसो आंवला तेल, 10/–रूपये वाला 05 नग डाबर आंवला तेल, 26 पैकेट एक पाव वाला चायपत्ती को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित किया ।

02– प्रकरण मे कोई स्वीकृत तथ्य नही हैं ।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार कि प्रार्थी राकेश देवांगन ने थाना कांकेर मे इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27–08–2022 को सुबह वह अपने ससुराल बांदे चला गया था। दिनांक 28–07–2022 को सुबह करीबन 05.30 बजे उसको उसके घर वाले फोन कर बताये कि कल रात मे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके किराना दुकान मे चोरी किया गया है तब वह दिनांक 31–07–2022 को अपने ससुराल बांदे से किराना दुकान आकर सामान का मिलान किया तब पता चला कि उसकी दुकान से अर्जुन चावल 25 किलो को कटटा 10 बोरी, आटा, 5 किलो का 3 पैकेट, एक लीटर वाला एक पेटी 01 सरसो तेल, सरसो तेल आधा लीटर का 10 बोतल, सरसो तेल 200 एम.एल. का 10 बोतल, महाकोष तेल एक लीटर वाला 18 पैकेट, एबीस गोल्ड तेल आधा लीटर वाला 12 पैकेट, सरसो आंवला तेल 10/–रूपये वाला 06 नग, डाबर आंवला तेल 10/–रूपये वाला 05 नग, चायपत्ती एक पाव वाला 26 पैकेट जुमला कीमती करीबन 35000/–रूपये को कोई अज्ञात चोर उसके किराना दुकान से दिनांक 27–28.07.2022 के दरम्यानी रात्रि मे चोरी कर ले गया है । प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 235/2022 मे अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम के आधार पर किराना सामान की जप्ती की गयी। अभियुक्तगण को

गिरफतार किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04– अभियुक्तगण को कंडिका 1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा जुर्म करना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताकर अपने बचाव में साक्ष्य पेश नही करना व्यक्त किया ।

05– अभियोजन की ओर से साक्षी राकेश देवनाथ (अ.सा.1), दुष्यंत सिन्हा (अ.सा.2), टिकेश कुमार धिवर (अ.सा.3), नेकेश गोस्वामी (अ.सा.4), राजेन्द्र साहू (अ.सा.5), दाउराम सिन्हा (अ.सा.6), योगेश लाल यादव (अ.सा.7), कृष्ण कुमार मण्डावी (अ.सा.8), भागवत चालकी (अ.सा.9), रवि कुमार (अ.सा.10) एवं उत्तम कुमार तिवारी (अ.सा.11) का परीक्षण कराया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य नही कराया गया हैं ।

06– **<u>प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं कि</u>**

1– क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.07.2022 से दिनांक 28.07.2022 के मध्य समय लगभग 05.30 बजे से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व दरम्यानी रात्रि को स्थान कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने जगन्नाथ किराना दुकान सिंगारभाट अंतर्गत थाना कांकेर मे प्रार्थी राकेश देवांगन के किराना दुकान मे चोरी करने के आशय के दुकान के शटर का ताला तोड़कर प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृहभेदन कारित किया ?

2– क्या अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रशरण में प्रार्थी राकेश देवांगन के किराना दुकान से 25 किलो को कटटा 10 बोरी अर्जुन चावल, 5 किलो का 3 पैकेट आटा, एक लीटर वाला एक पेटी 01 सरसो तेल, आधा लीटर का 10 बोतल सरसो तेल,

200 एम.एल. का 10 बोतल सरसो तेल, एक लीटर वाला 18 पैकेट महाकोष तेल, आधा लीटर वाला 12 पैकेट एबीस गोल्ड तेल, 10/–रूपये वाला 06 नग सरसो आंवला तेल, 10/–रूपये वाला 05 नग डाबर आंवला तेल, 26 पैकेट एक पाव वाला चायपत्ती को बेईमानीपूर्वक हटाकर प्रार्थी की सम्मति के बिना चोरी कारित किया ?

॥विवेचना एवं निष्कर्ष॥

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 पर निष्कर्ष एवं आधार

07– उक्त दोनो विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उक्त दोनो विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा हैं ।

08– सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या प्रार्थी राकेश देवांगन के किराना दुकान से कंडिका 1 मे वर्णित संपत्ति की चोरी हुई थी ? इस संबंध मे दुकान मालिक/प्रार्थी राकेश देवनाथ (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता पहचानता हैं। घटना दिनांक 27–08–2022 के रात्रि के लगभग 12 बजे की हैं । घटना स्थल सिंगारभाट मे उसके किराना दुकान (जगन्नाथ किराना दुकान) की हैं । घटना दिनांक को वह ग्राम बांदे गया था । बांदे मे उसकी मां उमारानी के द्वारा मोबाईल से उसे खबर दी गई कि दुकान के शटर मे लगे दो ताले मे से एक ताला टूटा हुआ है एवं दुकान के पीछे छोटे दरवाजे जिसमे ताला लगा हुआ था वह भी टूटा हुआ है और इसी छोटे दरवाजे में से अज्ञात व्यक्ति दुकान के अंदर घुसकर किराना दुकान मे रखा किराना सामान को चोरी करके ले गये हैं। चोरी की गयी सामान मे से अर्जुन चावल की बोरी 25 किलो 10 बोरी, आर्शीवाद कंपनी का आटा 5 किलो का 03 पैकेट, सरसो तेल लाल गुलाब का 01 पेटी, सरसों तेल आधा लीटर का 10 बॉटल, सरसो तेल 200 एम.एल. का 10 बॉटल, सरसो तेल 200 एम.एल. का 10 बॉटल, महाकोश 01 लीटर का 18 पाउच, एबिस गोल्ड

आधा लीटर का 12 पाउच, सरसों आंवला तेल 10/–रूपये वाली 06 नग, डाबर आंवला 10/–रूपये वाली 05 नग, रेड लेबल चायपत्ति एक पाव का 26 पैकेट चोरी करकर ले गये थे । चोरी की गयी किराना सामान कीमत लगभग 35,000/–रूपये थी । उसकी मां के द्वारा फोन पर चोरी की खबर दिये जाने के पश्चात लगभग 02 दिन बाद वह बांदे से वापस घर कांकेर आया और चोरी की हुई सामान का मिलान किया और थाने मे जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया ।

09– प्रार्थी राकेश देवनाथ (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह भी कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। लिखित आवेदन प्र.पी. 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस वाले घटना स्थल का नक्शा बनाये थे नजरी नक्शा प्र.पी. 3 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष ताले की जप्ती हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 एवं 5 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने उसके किराना दुकान से चोरी हुआ किराना सामान को सुपूर्दनामा में प्राप्त किया था जो कि प्र.पी. 6 जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण मे प्रार्थी की दुकान से चोरी गये सम्पत्ति की चोरी न होने के संबंध मे कोई खण्डन नही किया गया है जिससे प्रार्थी के किनारा दुकान से उक्त सामानों की चोरी होना दर्शित होता हैं ।

10– साक्षी योगेश लाल यादव (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को जानता पहचानता हैं। आरोपी हरिदास उसका वाहन का चालक था एवं आरोपी सोनु नाग, हरिदास का दोस्त था। वह प्रार्थी राकेश देवांगन को नहीं जानता हैं । घटना लगभग 01–02 वर्ष पूर्व 2022 की है । घटना स्थल कांकेर में किराना दुकान की है । कुछ वर्ष पूर्व वह अपनी दुकान कुम्हारपारा जगदलपुर में बैठा था, तभी आरोपी हरिदास की

पत्नी एवं छोटा भाई उसके पास रात्रि के लगभग 08.00 बजे आये और बताये कि आपकी गाडी ट्रक सी.जी. 17 एच. 2322 को एवं हरिदास एवं सोनु को थाना कांकेर के पुलिस वाले पकडकर ले गये हैं । तब उसने जगदलपुर के धरमपुरा थाना में जाकर उसने घटना के बारे में जानकारी प्राप्त किया तब मालूम हुआ कि थाना कांकेर के पुलिस वाले आरोपी हरिदास के यहां सुबह के 10.00 बजे आये थे और साथ में धरमपुरा के पुलिस वाले भी आरोपी हरिदास के यहां आये थे और लगभग दिनभर आरोपी हरिदास के घर में थे । उक्त बाते उसे तब आरोपी हरिदास या उसके परिवार वालों के द्वारा नहीं बताया गया था । तब उसके द्वारा पूछे जाने पर पुलिस वालो ने बताया कि आरोपी हरिदास और उसकी वाहन ट्रक एवं आरोपी हरिदास को पकडकर कांकेर थाना लाये हैं, तब इस प्रकार उसे मालूम हुआ कि आरोपी हरिदास और सोनु के द्वारा कांकेर के किराना दुकान से चोरी किया गया है। तब उसने वर्ष 2022 के सातवें महिने में थाना कांकेर आया और उसने उसकी वाहन ट्रक सी.जी. 17 एच.2322 के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी वाहन को सुपूर्दनामा में प्राप्त किया। सुपूर्दनामा पत्र प्र.पी. 15 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।इस प्रकार इस साक्षी ने प्रार्थी के किराना दुकान मे चोरी होने का कथन किया हैं जिस संबंध मे साक्षी के वाहन को भी जप्त किया गया था । इस साक्षी के साक्ष्य से प्रार्थी के कथनों का समर्थन होता हैं तथा प्रार्थी के किराना दुकान से चोरी नही होने का कोई आधार भी दर्शित नही होता हैं । फलस्वरूप यह प्रमाणित पाया जाता है कि प्रार्थी के किराना दुकान से कंडिका 1 में वर्णित सामानो की चोरी हुई थी ।

11– अब प्रकरण मे यह देखा जाना है कि क्या उक्त चोरी अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी थी और उसे अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम के आधार पर उनसे जप्त किया गया हैं ? इस संबंध मे अभियोजन **साक्षी दुष्यंत सिन्हा (अ.सा.2)** एवं **साक्षी कृष्ण कुमार मण्डावी (अ.सा.8)** मेमोरण्डम एवं जप्ती

कार्यवाही के साक्षी हैं । उक्त दोनो साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में विवेचक द्वारा की गई मेमोरण्डम कार्यवाही प्र.पी. 8 एवं प्र.पी. 9 के संबंध मे अभियोजन का समर्थन नही किया हैं। दोनो ही साक्षियों ने अपने समक्ष पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को मेमोरेण्डम कथन लिये जाने से इंकार किया गया हैं। उक्त दोनो साक्षियों ने जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 एवं प्र.पी. 11 के अनुसार अभियुक्तगण से संपत्ति पुलिस द्वारा जप्त किये जाने से भी इंकार किया गया हैं। अभियोजन द्वारा दोनो साक्षियों से सूचक प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन के कार्यवाहियों का समर्थन नही किया हैं। इस प्रकार उक्त दोनो साक्षी पक्षद्रोही साक्षी और उन्होने अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कथन नही किया हैं ।

12– प्रकरण मे अभियोजन द्वारा साक्षी टिकेश कुमार धिवर (अ.सा.3), नेकेश गोस्वामी (अ.सा.4), राजेन्द्र साहू (अ.सा.5), दाउराम सिन्हा (अ.सा.6), रवि कुमार (अ.सा.10) का भी साक्ष्य कराया गया हैं जिन्हे अभियोजन अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चोरी के सामान को बिक्री करने का प्रयास किया गया । साक्षी टिकेश कुमार धिवर (अ.सा.3) एवं रवि कुमार (अ.सा.10) ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया हैं और घटना के बारे मे जानकारी नही होना बताया हैं। दोनो ही साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न किये जाने पर दोनो साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नही किया है और न ही अभियुक्तगण द्वारा उन्हे राशन सामान बिक्री करने के संबंध मे पूछे जाने हेतु कोई कथन किया हैं । साक्षी नेकेश गोस्वामी (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया हैं और कथन किया है कि वह राजेन्द्र साहू, टिकेश धिवर के पास कुरूद गया था तब वे लोग कुरूद भटठी के पास अपने दोस्त रवि जोशी का इंतजार कर रहे थे । रवि जोशी के आने के बाद वह वहां से चला गया था, थोड़ी देर बाद पुनः आने पर उसे जानकारी हुई कि एक व्यक्ति वहा आया था और सामान बेचने की बात कह रहा था, उक्त बात उसे टिकेश ने बतायी थी । अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक

प्रश्न किये जाने पर साक्षी ने कडिका 5 मे यह स्वीकार किया है कि जब वे तीनो वापस जान वाले थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया था और उनसे पूछा था कि ट्रक वाले क्या बोल रहे थे तब उन लोगो ने बताया था कि ट्रक मे रखा हुआ राशन का सामान बेचने की बात कर रहे थे। इसके अलावा साक्षी ने अभियोजन का कोई समर्थन नही किया हैं । यद्यपि इस साक्षी ने ट्रक वाले के द्वारा राशन सामान बेचने की बात बतायी गयी है किन्तु अभियुक्तगण के द्वारा ही उक्त सामान को बेचने की बात की गयी थी ऐसा कोई कथन नही किया गया हैं ।

13– साक्षी राजेन्द्र साहू (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह अभियुक्त हरिदास को जानता हैं तथा अभियुक्त सोनु नाग को नही पहचानता हैं । उसकी ग्राम मरोद मे किराना दुकान हैं । वह निकेश तथा टिकेश धिवर के साथ कुरुद गया था जहा पर टिकेश का दोस्त आने वाला था वे तीनो कुरूद भटठी के सामने टिकेश के दोस्त का इंतजार कर रहे थे कुछ देर बाद उसका दोस्त आया और वे लोग वहॉ से चले गये । इस साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न किये जाने पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त् बात दिनांक 28–07–2022 की सुबह 10.00 बजे की हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वे लोग कुरुद भटठी के पास आपस मे बातचीत कर रहे थे तब एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि वह ट्रक का ड्रायवर है और उसके ट्रक मे राशन का सामान रखा हुआ हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने कहा था कि डीजल डलवोन के लिए पैसा नही हैं इस कारण से वह राशन को मालिक के कहने पर बेचना चाहता हैं । साक्षी ने कंडिका 4 मे यह स्वीकार किया है कि ट्रक मे राशन का सामान देखने पर उन्हे संदेह हुआ था कि उक्त सामान चोरी का होगा तब उन्होने सामान खरीदने से मना कर दिया था । इसके अलावा साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नही किया हैं । प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी ने घटना के बारे मे कोई जानकारी नही होना

स्वीकार किया हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने भी ट्रक वाले के द्वारा राशन सामान बेचने की बात बतायी गयी है किन्तु अभियुक्तगण के द्वारा ही उक्त सामान को बेचने की बात की गयी थी ऐसा कोई कथन नही किया गया हैं ।

14– साक्षी दाउराम सिन्हा (अ.सा.6) ने अभियुक्त हरिदास को पहचानना स्वीकार किया है तथा अभियुक्त सोनु नाग को जानने पहचान्ने से इंकार किया हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण मे बताया है कि आरोपी हरिदास राय कुरुद मे चावल बेच रहा था तब उसने उसे देखा था । घटना दो वर्ष पूर्व की ग्राम कुरूद मे शराब भटठी के पास की हैं । घटना दिनांक को वह शराब भटठी मे काम कर रहा था तब एक व्यक्ति जिसका नाम उसे नही मालूम किन्तु चेहरे से वह पहचानता हैं। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह भी बताया है कि गिरफतारी पत्रक मे चस्पित फोटो वाले व्यक्ति ही थे । उस व्यक्ति ने उसे कहा था कि डीजल के लिए पैसा नही है, उनके पास खाने के लिए चावल है, उसे ले लो । तब उसने चावल लेने से मना कर दिया था बाद मे उसे मालूम हुआ था कि उस व्यक्ति ने चावल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया हैं । इस साक्षी से भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28–07–2022 की सुबह की हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को उसके पास एक व्यक्ति और आया और बोला कि वह ट्रक का ड्रायवर हैं, उसके ट्रक मे राशन सामान रखा है जिसे वह बेचना चाहता है तब वह उस व्यक्ति के साथ ट्रक के पास गया था जिसमे एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उस ट्रक के केबिन मे चावल, आटा तथा अन्य राशन सामान भरा हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ट्रक के केबिन मे रखा सामान देखने पर वह चोरी का सामान लग रहा था तब उसने ट्रक ड्रायवर एवं हेल्पर से कहा था कि तुम लोग चोरी का सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वे दोनो घबरा गये थे और उन्होने कोई सामान नही खरीदा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि

शराब दुकान के पास उसने उन लोगो से पूछा था जिनसे ट्रक ड्रायवर एवं हेल्पर बात कर रहे थे तब उन लोगो ने उसे बताया था कि वे लोग ट्रक मे रखा राशन का सामान बेचने की बात कर रहे थे।

15– साक्षी दाउराम सिन्हा (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को ट्रक के केबिन मे रखे सामान के बारे मे कोई कथन नही दिया था । साक्षी ने कंडिका 8 मे यह भी स्वीकार किया है कि उसने वाहन मे ज्यादा मात्रा मे चावल, दाल, तेल होने के संबंध मे पुलिस को बयान नही दिया था। इसी कंडिका मे साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उससे विवेचना अधिकारी द्वारा कोई कथन नही लिया गया हैं। इसी कंडिका मे साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त सामान चोरी का था या किसी अन्य जगह का, ततसंबंध मे कोई कथन पुलिस वालो को नही दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण मे अभियुक्तगण के द्वारा उससे तथा अन्य लोगो से राशन सामान बेचने की बात कहना स्वीकार किया है किन्तु ततसंबंध मे पुलिस को कोई भी बयान दिये जाने से इंकार किया गया हैं।

16– साक्षी भागवत चालकी (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि दिनांक 31–07–2022 के समय 22.30 बजे प्रार्थी राकेश देवनाथ उम्र 30 वर्ष निवासी सिंगारभाट कांकेर के द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में चोरी करने के संबंध मे लिखित आवेदन दिये जाने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 235/2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया जो कि प्र.पी. 2 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17– विवेचना अधिकारी उत्तर कुमार तिवारी (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण मे विवेचना संबंधी कथन किया है कि थाना कांकेर के अपराध क्रमांक 235/2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.वि. की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थी राकेश देवनाथ के बताये

अनुसार घटना स्थल सिंगारभाट कृषि विज्ञान केन्द्र के सामने जगन्नाथ किराना स्टोर पहुंचकर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 3 प्रार्थी के समक्ष तैयार किया गया था नजरी नक्शा प्र.पी. 3 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 01–08–2022 को घटना स्थल से समक्ष गवाहों के 01 नग मुडा/टुटा हुआ ताला ब्लेज, 01 नग मुडा/टुटा हुआ ताला हीरो लिखा हुआ, 01 नग मुडा/टुटा हुआ ताला हावडा किंग लिखा हुआ को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 की कार्यवाही की गई जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान सूचना मिली कि एक ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 कांकेर तरफ से आ रही हैं जिसमें चोरी का सामान है जिसकी तस्दीक व कार्यवाही करने के लिए गवाह कृष्णा मण्डावी व दुष्यंत सिन्हा को नोटिस धारा 160 द.प्र.सं. पुलिस कार्यवाही में उपस्थित रहने व सहयोग करने के लिए दिया गया था जो प्र.पी. 7 है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18– विवेचना अधिकारी उत्तर कुमार तिवारी (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह भी कथन किया है कि पता तलाशी के दौरान ज्ञानी ढाबा चौक के पास एक 10 चक्का संदिग्ध ट्रक जिसमें दो लोग सवार थे जिसने दिनांक घटना को हुए चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर जगन्नाथ किराना स्टोर में चोरी करना स्वीकार करने पर गवाहो के समक्ष हरिदास व सोनु नाग का पृथक–पृथक मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसमें उनके द्वारा जगदलपुर से रायपुर जाते समय दिनांक 27–07–2022 को जगन्नाथ किराना स्टोर से किराने का सामान चोरी करना स्वीकार किया एवं बताया कि चोरी किया गया सामान एवं रायपुर से वापसी दिनांक 29–07–2022 को मां दुर्गा मोबाईल बीरेझर से भी चोरी किया गया सामान उनके ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 के केबीन मे रखा है, बरामद करवा देता हूं का कथन लिया गया इसके आधार पर उसके द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 8 एवं प्र.पी. 9 की कार्यवाही उसने गवाहो के समक्ष की थी जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

विवेचना के दौरान दोनो आरोपियो के निशानदेही पर ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 जो कि हरिदास एवं सोनु नाग के संयुक्त अधिपत्य में था से जगन्नाथ किराना दुकान से चोरी किये गये किराना सामान तथा ग्राम बिरेझार के पास मां दुर्गा मोबाईल चोरी की गई इलेक्ट्रानिक सामान एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 कुल जुमला कीमती 1070500, उक्त संपत्ति प्र.पी. 11 मे जप्ती पत्रक को जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गई जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02–08–2022 ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 के वाहन स्वामी योगेश लाल यादव द्वारा पेश करने पर उक्त ट्रक का आर.सी.कार्ड., इंश्योरेंस कार्ड, परमिट व पी.यू.सी. पेश करने पर समक्ष गवाहो के जप्त कर पुलिस कब्जा मे लिया गया, जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 है जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19– विवेचना अधिकारी उत्तर कुमार तिवारी (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह भी कथन किया है कि दिनांक 05–08–2022 को प्रार्थी राकेश देवनाथ द्वारा किराना सामान का बिल प्रस्तुत करने पर जो कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 के कंडिका 12 मे उल्लेखित है को जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गई जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा जप्तशुदा किराना सामान का बिल प्र.पी. 17 है जो जगनाथ किराना कांकेर के नाम से जारी किया गया है तथा लेजुवार चावल दुकान धमतरी से जारी किया गया था, राजेश कुमार, अनिल कुमार किराना स्टोर से खरीदा गया किराना सामान कीमती 25,131/–रूपये जो कि राकेश देवनाथ जगन्नाथ के नाम से जारी किया गया जो कि प्र.पी. 18 है तथा श्रीराम एजेंसी कांकेर से खरीदा गया कीमती 5,646/–रूपये का जो कि जगन्नाथ किराना सिंगारभाट का बिल प्र.पी. 19 हैं । उसके द्वारा प्रकरण मे प्रार्थी राकेश देवनाथ, रवि जोशी, टिकेश कुमार धीवर, नकेश गोस्वामी, राजेन्द्र साहू, दाउराम सिन्हा व ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 के वाहन स्वामी योगेश लाल यादव का बयान उनके

बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया । दिनांक 01–08–2022 को ही आरोपी हरिदा राय, सानु नाग समक्ष गवाहो को गिरफतार कर गिरफतारी प्रत्रक प्र.पी. 12 एवं प्र.पी. 13 की कार्यवाही की जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20– प्रकरण मे जप्ती एवं मेमोरेण्डम के साक्षी दुष्यंत सिन्हा (अ.सा.2) एवं कृष्ण कुमार मण्डावी (अ.सा.8) द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया गया हैं। साक्षी रवि जोशी (अ.सा.10), निकेश गोस्वामी (अ.सा.4) एवं टिकेश कुमार धिवर (अ.सा.3) ने भी अभियोजन का समर्थन नही किया हैं और अभियुक्तगण द्वारा चोरी के पश्चात चोरी किये गये राशन सामान को विक्रय करने हेतु उनसे संपर्क किया गया, इस संबंध मे भी अभियोजन का समर्थन नही किया है और न ही साक्षियों ने अभियुक्तगण की पहचान की हैं। प्रार्थी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं। चोरी के प्रकरणों मे मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षियों का कथन महत्वपूर्ण होता हैं। स्वंतत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने से मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही की पुष्टि नही होती हैं । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नही की गयी है कि चुराई हुई संपत्ति को अभियुक्तगण ने साथ मिलकर चोरी कारित की गयी और उनके आधिपत्य से विधिवत जप्त किया गया है। ऐसी स्थिति मे अभियोजन के अपुष्ट साक्ष्यों पर विश्वास नही किया जा सकता तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना उचित प्रकट नही होता है । अतः अभियोजन विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 को प्रमाणित करने मे असफल रहा हैं । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष प्रमाणित नही मे दिया जाता हैं। फलस्वरूप आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर भारतीय संहिता की धारा 457, 380 सहपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में

दोषमुक्त किया जाता हैं ।

21– अभियुक्त हरिदास राय का नियमित जमानत मुचलका भारमुक्त किया जाता हैं। अभियुक्तगण के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन मे प्रस्तुत बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

22– प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 17 एच. 2322 एवं प्रकरण मे जप्तशुदा किराना सामान पूर्व से सुर्पूदनामा पर हैं। उक्त सुपूर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा मे भारमुक्त समझा जावे। प्रकरण मे अन्य जप्तशुदा संपत्ति हरिदास का चालन अनुज्ञप्ति हरिदास को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा मे वापस प्रदान किया जावे। प्रकरण मे शेष संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा मे विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्ट कर निराकृत किया जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त सम्पत्ति का व्ययन किया जावे।

23– अभियुक्तगण के द्वारा इस प्रकरण मे बितायी गयी अभिरक्षा अवधि के संबंध मे पृथक से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत निरोध तालिका बनायी जावे जो कि निर्णय का भाग होगा ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित।

सही/–
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

मेरे निर्देशन मे टंकित ।

सही/–
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरखा में व्यतीत अवधि का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.

अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अवधि
हरिदास राय	निरंक ।	दिनांक 01.08.2022 से 10.08.2022 तक ।	10 दिवस।
सोनु नाग	निरंक ।	01.08.2022 से आज दिनांक 17.05–2024 तक ।	655 दिवस।

सही/–
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

॥प्रमाण पत्र॥

मैं यह पुष्टि करता हूं कि इसमे निहित अंतर्वस्तु वही है जो मूल निर्णय मे हैं ।

––तारेन्द्र श्रीवास, साक्ष्य लेखक